# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
## जिला चित्तौडगढ
### पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/127/2024 प्रार्थना पत्र                                   दायर दिनांक 15.10.2024

**उनवान**

1. हेमलता पत्नी कैलाशचंद्र सुखवाल ब्राहम्ण निवासी धमाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) हाल निवासी पता 63 सी गांधीनगर सैक्टर नंबर 2 चित्तौड़गढ़ तहसील , जिला चित्तौड़गढ़ ।

---प्रार्थीया

**बनाम**

1. कालूराम पिता रामचंद्र जाति ब्राहम्ण निवासी धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. भैरूलाल पिता बिहारीलाल दर्जी निवासी फतहनगर तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)।

---अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार बापना — प्रार्थीया
अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच —अप्रार्थी सं0 1
अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह पंवार —अप्रार्थी सं0 2

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) **आर0टी0एक्ट0**

निर्णय दिनांकः 13.11.2025

**—:निर्णयः—**

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0 के निम्न निवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे, काश्त की आराजीयात मौजा ग्राम धमाणा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की वर्तमान आराजी नंबर 2545 रकबा 0.32 हैक्टर नहरी भूमि स्थित है जिस पर कृषि कार्य करने, हल बैलगाडी, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षी संख्या 1 की आराजी नंबर 2547 रकबा 0.06 हैक्टर एवं विपक्षी संख्या 2 की आराजी नंबर 2546 में होता हुआ आराजी नंबर 2541 डोरी तक जाता है। यह कि इस रास्ते के अलावा और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है क्योंकि आराजी नंबर 2441 पर जाने के लिये तालाब में पानी के अंदर होकर जाना पडता है इसके अलावा 2545 पर तालाब की तरफ जाने पर भी आराजी नंबर 2544 व 2542 खातेदार विपक्षी नंबर 1 की आराजी में से ही होकर रास्ता है वही से होकर आना पडता है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है यह रास्ता अत्यावश्यक होने से रास्ता दिलाने जाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश है।

यह कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजी नंबर 2545 में पहुंचने का एक मात्र रास्ता गाडी, बैल, ट्रैक्टर, हल आदि ले जाने का रास्ता आराजी नंबर 2546, 2547 एवं डोरी पर जाने व कृषि साधन लाने ले जाने के लिये भी आराजी नंबर 2542, 2544 से होकर जाया जाता है इसलिये आराजी नंबर 2546, 2547, 2542, 2544 में से प्रार्थीया को जाने आने हेतु करीब 5 मीटर चौडा रास्ता दिलाये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

यह की प्रार्थीया को अपने आराजी पर यानि कृषि कार्य करने हेतु जाने पर विपक्षी द्वारा आराजी नंबर 2547 पर पक्का सीमेंट का पिल्लर बना लोहे की फाटक लगाकर ताला लगा दिया है जिससे प्रार्थी अपने खेत पर नहीं पहुंच पा रहा है व कृषि कार्य बाधित हो रहा है इसलिये अवलिंब आवश्यक रास्ता खुलवाये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया के खेत पर जाने का उसके बैल, गाडी, मवेशी, हल, ट्रैक्टर लाने ले जाने कृषि उपकरण जिन्स लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता विपक्षीगणों की आराजीयात संख्या 2542, 2544, 2546, 2547 में से 5 मीटर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला चित्तौडगढ

चौड़ा रास्ता दिलवाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें जिसकी लागत नियमानुसार प्रार्थीया खातेदार वहन करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ में अपील हुई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ में उक्त अपील दिनांक 08.08.2024 से स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.03.2021 को निरस्त किया जाकर उभयपक्षको की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तहसीलदार स्वय द्वारा तैयार कर साक्ष्य सबूतो के आधार पर नव निर्णय पारित किये जाने हेतु पुनः इस न्यायालय को प्राप्त हुई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश की पालना में पत्रावली में पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नवीन नम्बर 127/2024 दर्ज किया गया एवं तहसीलदार कपासन द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई।

उक्त प्रकरण में तहसीलदार कपासन से प्राप्त नवीन मौका रिपोर्ट दिनांक 03.11.2025 अनुसार प्रार्थीया को अपने आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया की आराजीयात पर पहुंच हेतु निकटतम मार्ग आराजी नंबर 2546 में से प्रस्तावित किया गया है इसमें किसी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नही है। अप्रार्थी अपनी भूमि के एवज में प्रार्थीया की खातेदारी भूमि चाहता है। प्रस्तावित मौका रिपोर्ट में आराजी नंबर 2546 रकबा 0.24 हैक्ट0 में से 4 × 32 मीटर = 128 वर्ग मीटर रास्ता प्रस्तावित किया गया।

बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। हमने की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उक्त पत्रावली अवलोकन व तहसीलदार कपासन की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया की आराजीयात पर पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है अतः उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति से रास्ते हेतु जमीन की एवज में जमीन दिलाये हेतु निवेदन को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## —:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि मौजा धमाणा पटवार हल्का धमाणा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में स्थित हाल आराजी न0 2545 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की मौजा धमाणा की आ.न. 2546 है। जिससे रास्ते का प्रस्तावित रकबा आ0नं0 2546 में से 4 मी0 × 32 मी0 कुल क्षेत्रफल 0.0128 हैक्ट0 है जिसका दिनांक 31.10.2025 के मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार बिलानाम रास्ता कायम किया जावें। उक्त भूमि के एवज में अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थीया की आराजी संख्या 2545 रकबा 0.32 हैक्ट0 में से प्रस्तावित रास्ते के क्षेत्रफल के समान्तर रकबा अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी संख्या 2546 से लगता हुआ मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 के खातेदारी में दर्ज किया जावें। आराजी संख्या 2546 से प्रस्तावित बिलानाम रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर बिलानाम रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। साथ ही प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि पूर्व के निर्णय दिनांक 30.03.2021 की पालना में जो डिमाण्ड ड्राफ्ट/राशि प्रार्थीया द्वारा कार्यालय तहसीलदार कपासन में जमा करा दिया गया है वो पुनः प्रार्थीया को दिया जावें। अतः उक्त के क्रम में तहसीलदार कपासन आवश्यक कार्यवाही करते हुए डिमाण्ड ड्राफ्ट/राशि नियमानुसार प्रदान करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन